

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:- नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 88 / 2025

### उनवान

1. अहमदनूर पुत्र श्री फतेह मोहम्मद मंसूरी नि० बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
2. आरिफ मोहम्मद पुत्र श्री गोदू मोहम्मद मंसूरी नि० बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
3. नीलम देवी माता निर्मला देवी कलाल नि० सांतपुर तह० आबूरोड जिला सिरौही(राज०)
4. राजेश कुमार माता निर्मला देवी कलाल नि० सांतपुर तह० आबूरोड जिला सिरौही(राज०)
5. सरोज देवी माता निर्मला देवी कलाल नि० सांतपुर तह० आबूरोड जिला सिरौही(राज०)
6. हेमन्त कुमार माता निर्मला देवी कलाल नि० सांतपुर तह० आबूरोड जिला सिरौही(राज०)

—प्रार्थीगण

### बनाम

1. शम्भू लाल दत्तक पुत्र श्री गोवर्धन तेली नि० बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
2. राजू तेली पुत्र श्री लेहरू लाल तेली नि० बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
3. मोडीराम पुत्र श्री रूप लाल तेली नि० बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
4. राजसुख पुत्र श्री गोकल दरोगा नि० बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
5. खेमा पुत्र श्री धूला रेगर नि० बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
6. लालाराम पुत्र श्री धूला रेगर नि० बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
7. रामचन्द्र पुत्र श्री नारू रेगर नि० बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
8. जान मोहम्मद पुत्र श्री बादर खां पीनारा नि० बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
9. बसीर मोहम्मद पुत्र श्री बादर खां पीनारा नि० बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
10. महबूब दत्तक पुत्र श्री हनीफ मोहम्मद पीनारा नि० बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
11. अनिल पुत्र श्री सुजानमल सोनी नि० बरडौद हाल सोनी ट्रेडिंग नेताजी सुभाष मार्केट, नवरतन चाय वाले के पास, भीलवाडा(राज०)
12. प्रकाश पुत्र श्री सुजानमल सोनी नि० बरडौद हाल सोनी ट्रेडिंग नेताजी सुभाष मार्केट, नवरतन चाय वाले के पास, भीलवाडा(राज०)
13. सुनील पुत्र श्री सुजानमल सोनी नि० बरडौद हाल सोनी ट्रेडिंग नेताजी सुभाष मार्केट, नवरतन चाय वाले के पास, भीलवाडा(राज०)
14. शांति लाल पुत्र श्री भंवर लाल सोनी नि० बरडौद हाल सोनी ट्रेडिंग नेताजी सुभाष मार्केट, नवरतन चाय वाले के पास, भीलवाडा(राज०)
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 15-07-2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 06.05.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बरडौद पटवार हल्का बरडौद भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 18 की आराजी नम्बर 722 रकबा 0.2655 हैक्टर, आराजी नम्बर 726 रकबा 0.1012 है०, आराजी नम्बर 728 रकबा 0.6070 है०, आराजी नम्बर 729 रकबा 0.5184 है० कुल किता 04 कुल रकबा 1.4921 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय पड़ोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीय के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.05.2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 14 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)

-:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बरडौद पटवार हल्का बरडौद भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 18 की आराजी नम्बर 722 रकबा 0.2655 हैक्टर, आराजी नम्बर 726 रकबा 0.1012 है०, आराजी नम्बर 728 रकबा 0.6070 है०, आराजी नम्बर 729 रकबा 0.5184 है० कुल कित्ता 04 कुल रकबा 1.4921 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।



(निहा छीपा)  
उपखण्ड-अधिकारी  
हमीरगढ(राज.)

